Online Registration for Allotment

Housing & Urban Planning Department, U.P.

Registration Form

Development Authority *	**Moradabad Development Authority**
Scheme Name*	<—Select—>
Approx. Cost of Flats/Plot (Rs.)*	
Registration Money (Rs.)*	
Form Charges (Rs.)*	
Applicant Name *	
Father/Spouse Name *	
Applicant DOB(DD/MM/YYYY)*	DD/MM/YYYY
Postal Address*	
Permanent Address*	☐ Same as postal Address
Mobile No.*	
Email ID*	
Marital Status	<—Select—>

Save & Next

Monday, 18 Sep, 2023 10:39:11 AM

Welcome Mrs. (Applicant)

Online Registration for Allotment

Housing & Urban Planning Department, U.P.

Home | Registration Status | Registration Form | Change Password | Logout

Registration Form

Development Authority * : **Moradabad Development Authority**

Bank Details for refund

IFSC Code*

Bank Account No.*

Bank Name*

Bank Branch*

Account Type* : <—Select—>

Payment Type * : Payment in Installmen

Back   Save & Next

Design & Developed by Computer Kendra through UPDESCO

Online Registration for Allotment

Housing & Urban Planning Department, U.P.

Registration Form

Development Authority *	**Moradabad Development Authority**	
Photo of Applicant*	Browse No file chosen	View
ID Proof	Browse No file chosen	View
PAN card	Browse No file chosen	View
Affidavit*	Generate	View
Photo copy of cancelled cheque	Browse No file chosen	View
Income Proof*	Browse No file chosen	View

Please tick for Vertical reserved category & enclose the certificate

General	☑		
S.C.	☐	Browse No file chosen	View
S.T.	☐	Browse No file chosen	View
O.B.C.	☐	Browse No file chosen	View

Please tick for Horizontal reserved category & enclose the certificate

M.P/M.L.A	☐	Browse No file chosen	View
GOVT. EMPLOYEE(Above 50 yrs)	☐	Browse No file chosen	View
LOCAL BODY EMPLOYEE	☐	Browse No file chosen	View
EX-ARMYMAN & THEIR DEPENDANT	☐	Browse No file chosen	View
PARAMILITARY FORCES	☐	Browse No file chosen	View
DIFFERENTLY ABLED	☐	Browse No file chosen	View
SENIOR CITIZEN	☐	Browse No file chosen	View

Back Submit

आवेदन कैसे करें :

1. लॉटरी में 18 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय नागरिक ही भाग ले सकता है।
2. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पोर्टल www.janhit.upda.in पर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में इच्छित सम्पत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

Step 01	Open any browser and type **janhit.upda.in**
Step 02	Click on Registration for allotment (Module)
Step 03	Click on Proceed and Select Moradabad Development Authority (Logo)
Step 04	Click on New Account and creat your account
Step 05	Back on Home page and login with your created Username and password
Step 06	Click on Add new Registration
Step 07	Click on Scheme name and Select "Amrit Kunj Yojna" **"अमृत कुंज योजना"**
Step 08	Click on Catogery Name Plot or House
Step 09	Fill all correct detals and upload necessary papers.
Step 10	Pay Booklet Fee & Registration amount.

3. ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदक को फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र (उप–जिलाधिकारी द्वारा निर्गत आर्य प्रमाण पत्र, इनकम टैक्स रिर्टन, सैलरी स्लिप इत्यादि), कैंसिल चैक, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणियों हेतु) ऑनलाइन अपलोड करने होंगे।
4. आवेदन फार्म सही व पूर्ण भर मय वांछित अभिलेखों के साथ जमा करना होगा। अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अथवा निर्धारित अभिलेख संलग्न न होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
5. रजिस्ट्रेशन हेतु पंजीकरण धनराशि के रूप में सम्पत्ति मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि (सामान्य श्रेणी हेतु) व 05 प्रतिशत धनराशि (अन्य आरक्षित श्रेणियों हेतु) हेतु ऑनलाइन ही जमा करना होगा।

सामान्य निर्देश :–

1. जिन आवेदकों को लॉटरी में भूखण्ड/भवन आवंटित नहीं होता है, के द्वारा जमा पंजीकरण धनराशि ब्याज रहित, आवेदन फार्म में अंकित बैंक अकाउन्ट में वापस कर दी जायेगी।
2. लॉटरी हेतु प्रस्तावित भूखण्ड/भवन जहां हैं, जैसे हैं के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित भवन का स्थल निरीक्षण कर सकते हैं। आवंटन के पश्चात भवन की स्थिति विषयक किसी भी दोष के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत ग्राह्य/मान्य नहीं होगी।
3. लॉटरी ड्रा से 10 दिवस पूर्व समस्त आवेदकों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट mdamoradabad@up.gov.in एवं नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसमें लॉटरी ड्रॉ हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है, तो कार्यालय को सूचित करेंगे। तदनुसार परीक्षण के उपरान्त उसका निराकरण ससमय किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में लॉटरी ड्रा की तिथि एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा। अतएव आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
4. आय का वर्गीकीरण

आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग	रू0 3,00,000.00 वार्षिक
अल्प आय वर्ग	रू0 3,00,001.00 से 6,00,000.00 वार्षिक
मध्यम आय वर्ग	रू0 6,00,001.00 से12,00,000.00 वार्षिक
उच्च आय वर्ग	रू0 12,00,000.00 से अधिक

आरक्षण प्रक्रिया

अनुसूचित जाति	21%
अनुसूचित जनजाति	02%
अन्य पिछड़ा वर्ग	27%
मा0 विधायक/मा0 सांसद व स्वतन्त्रता सेनानी	05%
सरकारी सेवाओं एवं सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी को 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	05%
उ0प्र0 आवास विकास, विकास प्राधिकरण, जलसंस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	02%
भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित	03%
समाज के विकलांग व्यक्ति	01%

भुगतान प्रक्रिया

1. भूखण्ड/भवन आवंटन के पश्चात कुल धनराशि का 20 प्रतिशत आवंटन धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदक द्वारा जमा की गयी पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
2. सम्पत्ति की **अवशेष 70 प्रतिशत धनराशि 3 मासिक ब्याज रहित किस्तों में** अथवा **MCLR+3.5** प्रतिशत (आवंटन की दिनांक को प्रभावी) ब्याज के साथ हेतु 8 त्रैमासिक किस्तो में एवं ई.डब्लू.एस. श्रेणी की सम्पत्तियों की 60 मासिक किस्तों में सम्मिलित ब्याज के अतिरिक्त समय पर भुगतान न करने पर 3 प्रतिशत दण्ड ब्याज देय होगा।
3. यदि आवेदक द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष अवशेष धनराशि आवंटन स्वीकृत होने के पश्चात एक माह के अन्दर एक मुस्त जमा किया जाता है तो **सम्पत्ति मूल्य की 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी,** जिसे अन्य शुल्कों में रजिस्ट्री से पूर्व समायोजित किया जायेगा।
4. भूखण्ड/भवन की भूमि कीमत का 12 प्रतिशत फ्री–होल्ड, 10 प्रतिशत कॉर्नर शुल्क व अन्य आवश्यक शुल्क निबन्धन से पूर्व जमा करना होगा। निबन्धन/लीज डीड की प्रक्रिया में होने वाला समस्त व्यय क्रेता को ही वहन करना होगा।

निरस्तीकरण/समर्पण

1. आवंटन के उपरान्त अन्तिम किस्त की देय तिथि से छः माह के भीतर की अवधि में, यदि आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड/भवन को लेने से इन्कार किया जाता है तथा जमा धनराशि की वापसी की मांग की जाती है, तो आवंटन निरस्त कर पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुये, भूखण्ड/भवन समर्पण हेतु प्रार्थना पत्र की दिनांक को कुल देय धनराशि का 20 प्रतिशत जब्त करते हुए जमा धनराशि में से यदि अवशेष हो, तो वापस कर दी जायेगी।
2. आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गयी सूचना/अभिलेख असत्य/कूटरचित पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुए, निरस्तीकरण की तिथि को कुल देय धनराशि का 30 प्रतिशत जब्त करते हुए जमा धनराशि में से यदि अवशेष हो तो वापस कर दी जायेगी। यदि विक्रय विलेख के पश्चात उक्त प्रकार का कोई तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है, तो विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार विक्रय विलेख के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

आवश्यक नियम एवं शर्तें

1. आवेदक या उसके परिवार (परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के पास प्रदेश के किसी भी विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद अथवा स्थानीय निकाय द्वारा विकसित कॉलोनियों में सम्बन्धित अभिकरण द्वारा आवंटित अपना कोई भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
2. एक व्यक्ति, एक ही श्रेणी की सम्पत्ति पर एक आवेदन कर सकेगा।

3. यदि आवेदनकर्ता लॉटरी स्थल पर किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या लॉटरी की शर्तों/प्रतिबंधों का पालन नहीं करता है तो उसका आवेदन निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मु0वि0प्रा0 को होगा।
4. भूखण्ड/भवन का भौतिक कब्जा रजिस्ट्री/लीजडीड निष्पादित कराने ही दिया जायेगा।
5. भूखण्ड/भवन जिस योजना में स्थित है, उस योजना के स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण तक नियमानुसार निर्धारित दरों पर रख–रखाव शुल्क प्राधिकरण को देय होंगे।
6. भूखण्ड/भवन के सम्बन्ध में सर्विस टैक्स व नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आदि आवंटी द्वारा देय होंगे।
7. आवंटित भूखण्ड/भवन पर किसी अर्जन सम्बन्धी विवाद अथवा किसी न्यायालय में विधिक वाद अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से भवन का कब्जा देने में विलम्ब/बाधा की स्थिति में आवंटी को कोई क्षतिपूर्ति/ब्याज देय नहीं होगा तथा ऐसी दशा में आवंटी की मांग पर आवंटन निरस्त करते हुये जमा धनराशि ब्याज रहित वापस कर दी जायेगी।
8. आवंटन स्वीकृत/अस्वीकृत करने सम्बन्धी समस्त अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में निहित होंगे।
9. किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा तथा विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मुरादाबाद होगा।
10. समय–समय पर शासन द्वारा सम्पत्ति निस्तारण के लिए जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा एवं आवेदक इन्हें अनिवार्य रूप से मानने हेतु बाध्य होगा।
11. सभी प्रकार के देय शासकीय करों का भुगतान सम्पत्ति के मूल्य के अतिरिक्त आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
12. सम्पत्तियों की संख्या घट–बढ सकती है।

सचिव **उपाध्यक्ष**

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद उ0प्र0

शपथ पत्र (रू0 100/– के नाम जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

नाम श्री/श्रीमती/कुमारी...पिता/पति का नाम श्री.. आयु... .... व्यवसाय.................................... पूरा पता..

मैं शपथ पूर्व बयान करता हूं/करती हूं:–

1. मैंने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की.. योजना के अन्तर्गत..हेतु
(योजना का नाम) (सम्पत्ति का विवरण)
पंजीकरण प्रार्थना पत्र संख्या.............................. दिनांक........................ को प्रस्तुत किया गया व रू0........................ टोकन धनराशि बैंक ड्राफ्ट सं0.................. दिनांक.................. के माध्यम से जमा करायी है जिससे तारतम्य मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूं।
2. मैं बालिग हूं तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
3. मैं प्रार्थना पत्र केवल अपने लिए ही दे रहा/रहीं हूं और इसमें किसी प्रकार का बेनामी अधिकार शामिल नहीं है।
4. मेरे या मेरे पति/मेरी पत्नी तथा अवस्यक बच्चों के पास विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट किसी स्थानीय निकाय आदि द्वारा विकसित किसी आवासीय कॉलोनी में कोई भूखण्ड/भवन नहीं है तथा उत्तर प्रदेश में किसी नगर/शहरी क्षेत्र की विकसित कॉलोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं है।
5. मैंने पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ दी गयी पुस्तिका में उल्लिखत नियमों/शर्तों, दशाओं, विशेष सूचनाओं, परिभाषाओं को स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इनके पालन का वचन देता/देती हूं।
6. आवंटित भूखण्ड/भवन के कब्जा देने में यदि भूमि अर्जन सम्बन्धी अथवा अन्य न्यायिक प्रक्रिया के कारण अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से देरी होती है, तो मुझे इस बिन्दु के आधार पर क्षतिपूर्ति का मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
7. मुझे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूखण्ड/भवन देने की सभी शर्तों व नियम मान्य है।
8. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि जब तक भूखण्ड/भवन की समस्त किस्तों एवं करों का पूर्ण रूप से भुगतान न कर दूं मुझे भवन या भूमि बेचने या गिरवी रखने का अधिकार न होगा और न ही भूखण्ड/भवन रिहायशी उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाउंगा/लाउंगी।
9. यदि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटन उपरान्त आवेदित भूखण्ड/भवन कब्जा मैं न लूं अथवा निर्धारित समय के अन्तर्गत मांगा गया रूपया न जमा करूंगा अथवा भूखण्ड/भवन की रजिस्ट्री न कराऊं तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गयी किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूं तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को मेरे द्वारा जमा धन को नियमानुसार जब्त करने तथा भूखण्ड/भवन का आवंटन रद्द करने तथा भूखण्ड/भवन पर पुनः कब्जा कर लेने का पूरा अधिकार होगा।
10. ऊपर मैने जो कुछ भी कहा है वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्ण सत्य है और उपरोक्त शपथ–पत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैंने कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई हो तो अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के सक्षम अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/रजिस्ट्रेशन रद्द कर दें और इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा जमा धन को नियमानुसार जब्त कर लें और मेरे विरूद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझें, करें उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

घोषणः– मैं एतद्द्वारा बयान करता/करती हूं कि मेरे द्वारा उपर्युक्त क्रमांक 01 से 10 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)